

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी (म.प्र.)

क्रमांक /अनुपयोगी वाहन नीलामी /2024

सीधी दिनांक /03/.2025

// नीलामी विज्ञप्ति //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 1. विशेष न्यायाधीश सीधी को आबंटित शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी. 02 ए.व्ही. 2496 का निर्धारित अपलेखन मूल्य रु. 74000/- तथा 2. ग्राम न्यायाधिकारी मझौली को आबंटित शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी. 02 एच.सी. 0202 का निर्धारित अपलेखन मूल्य रु. 87000/- (जहां है, जैसी स्थिति में है) का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से दिनांक 23.11.2025 को किया जाना है।

खुली नीलामी किये जाने वाले वाहनों का विवरण निम्नानुसार है :-


क्र.	शा. वाहन क्रमांक/ वाहन का प्रकार	स्थान जहां पर वाहन रखा गया है	वाहन अपसेट मूल्य राशि	अमानत राशि	नीलामी स्थल
1	एम.पी. 02 ए.व्ही. 2496 (टाटा इंडिगो जीएलएक्स.) 2009	जिला न्यायालय परिसर सीधी	74,000/-	8,000/-	जिला न्यायालय परिसर सीधी
2	एम.पी. 02 एच.सी. 0202 (महिन्द्रा जायलो)	तहसील न्यायालय परिसर मझौली	87,000/-	8,000/-	जिला न्यायालय परिसर सीधी

उपरोक्त शासकीय वाहनों की खुली नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

नीलामी/विक्रय की शर्तें-

01. तालिका में उल्लेखित शासकीय वाहनों का अपलेखन मूल्य निर्धारित है।
02. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक से एक दिन पहले तक देख जा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जायेगा।
03. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
04. नीलामी/विक्रय कार्यवाही में भाग लेने के पूर्व नीलामीकर्ता/न्यायालय कर्मचारी जिला नाजिर/सेल अमीन जिला न्यायालय सीधी के पास राशि 8000/- (आठ हजार रुपये मात्र) अमानत के रूप में अग्रिम जमा कराना होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।
05. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 03 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि का नियमानुसार ऑनलाईन ई-चालान के माध्यम से शासन हित में जमा कराना होगा। चालान की स्वहस्ताक्षरित प्रति नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय सीधी (म0प्र0) में जमा कर विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

06. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीधी (म0प्र0) द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीधी को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।
07. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु अधिकृत प्रभारी का निर्णय समस्त बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु अधिकृत प्रभारी अधिकारी को विक्रय की शर्तों में बदलाव, आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकारी होगा।
08. नीलाम/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र/वाहन सुपुर्दगी आदेश प्रभारी अधिकारी सीधी द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र/वाहन सुपुर्दगी आदेश जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीधी द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।
09. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।
10. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। तत्पश्चात् वाहन का उपयोग किया जावेगा इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय, सीधी का होगा।
11. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारात अनुभाग, जिला न्यायालय सीधी में जमा जावेगी।
12. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन जिला न्यायालय सीधी की वेबसाईट <https://sidhi.dcourts.gov.in> पर किया जा सकेगा।
13. इस नीलामी/विक्रय की शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, 1. विशेष न्यायाधीश सीधी को आबंटित शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी. 02 ए.व्ही. 2496 तथा 2. ग्राम न्यायाधिकारी मझौली को आबंटित शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी. 02 एच.सी. 0202 को जिला न्यायालय परिसर सीधी मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहनों का भौतिक अवलोकन क्रमशः जिला नाजिर, नजारात अनुभाग जिला न्यायालय सीधी (म0प्र0) एवं नायब नाजिर तहसील मझौली जिला सीधी (म0प्र0) में कार्यालयीन समय में संपर्क कर, किया जा सकता है।


25-03-2025


**प्रभारी अधिकारी, नजारात अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)**

पृ. क्रमांक 989/अनुपयोगी वाहन नीलामी/2024

सीधी दिनांक 26/03/2025

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड भोपाल की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित। ~~मुख्य सूचना पटल~~
02. आयुक्त जनसंपर्क, कार्यालय सीधी, की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलाम विज्ञापन की किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराते हुए प्रकाशित अंक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु प्रेषित।
03. नायब नाजिर/सेल अमीन, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय सीधी/मझौली की ओर प्रेषित कर लेख है कि नीलामी विज्ञापन न्यायालय भवन के मुख्य सूचना पटल, प्रवेश द्वार एवं जिलाधीश कार्यालय सीधी, नगर पालिका सीधी/मझौली के मुख्य सूचना पटल पर नीलामी विज्ञापन चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
04. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुविभाग, सीधी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाना कि उक्त शासकीय वाहनों की नीलामी की विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय सीधी के वेवसाइट पर अपलोड करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
05. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग सीधी/मझौली की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. सहायक लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


25.03.2025


प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

// समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु- नीलामी विज्ञापित का प्रारूप //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न शासकीय वाहनों का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है :-

क्र.	शा. वाहन क्रमांक / वाहन का प्रकार	स्थान जहां पर वाहन रखा गया है	वाहन अपसेट मूल्य राशि	अमानत राशि	नीलामी स्थल
1	एम.पी. 02 ए.व्ही. 2496 (टाटा इंडिगो जीएलएक्स.) 2009	जिला न्यायालय परिसर सीधी	74,000/-	8,000/-	जिला न्यायालय परिसर सीधी
2	एम.पी. 02 एच.सी. 0202 (महिन्द्रा जायलो)	तहसील न्यायालय परिसर मझौली	87,000/-	8,000/-	जिला न्यायालय परिसर सीधी

नोट : उपरोक्त शासकीय वाहनों की खुली नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें जिला न्यायालय सीधी (म0प्र0) से अथवा माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर एवं जिला न्यायालय सीधी के वेबसाइट <https://sidhi.dcourts.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।


25-03-2025

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)